भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2874
दिनांक 18 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960

2874. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम,1960 में वर्ष 2022 में प्रस्तावित संशोधन के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार मसौदा विधेयक को विचारार्थ कब तक प्रस्तुत करने की योजना बना रही है;

(ग) मसौदा विधेयक पर हितधारकों के परामर्श का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का अधिनियम में संशोधन के मसौदे को कब तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (घ) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में वर्ष 2022 में पेश किए गए प्रस्तावित संशोधन पर विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श किया गया। इनमें पशु कल्याण संगठनों, पोल्ट्री संघों, कानूनी विशेषज्ञों, पशु चिकित्सा पेशेवरों, पशु कार्यकर्ताओं, माननीय सांसदों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल थे। जीव-जंतु कल्याण बोर्ड और विभाग को इन हितधारकों से 7,000 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। विभिन्न दृष्टिकोणों को देखते हुए, प्रस्तावित संशोधनों के कई पहलुओं पर राय अलग-अलग थी। वर्तमान में, संशोधन विधेयक को अंतिम रूप देने के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की गई है।

*****